सेवा मे,
दिनांक :- **03/06/2024**
नाम : - **{{Customer_Name}}**
पता : - **{{Address}}**
दपन कोड : - **276301**

नाम : - **{{Customer_Name}}**
पता : - **{{Address}}**
दपन कोड : - **27630**

विषय : - **Loan Recall Notice** – अनुबांधक्रमांक **TRUP26EXLO000005098263** की सम्पूर्ण देय ऋणराशि के भुगतान के दिये नोदिस ….

प्रिय मोहदय /महोदया,

इफको किसान फाइनेंस लिमिटेड (पर्वमेंकिशान रूलर फाइनेंस लिमिटेड), एक गैर-बैंकिंग फाइनेंस कांपनी है , जो की भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, **1934** के तहत पांजीकृत एवम कांपनी अधिनियम, २०१३ के प्रावधानों के तहत निगमित है और इसका मुख्य कार्यालय- इफको हाउस,34,नेहरू प्लेस, नई दिल्ली **110019** में स्थित है

हम टैक्टर पर ऋण देने और अन्य वित्तीय गतिविधयों के व्यवसाय में सलग्न हैं , और आप (उपरोक्त पताकर्ता), अपनी क्षमता में उधारकर्ता / सहउधारकर्ता / गारंटर के रूप में हमें टैक्टर ऋण सुविधा प्राप्त करने के दिए संपर्क कर चुके है ।और तदनुसार, आपने एक टैक्टारपर ऋण राशि रु **153395**/- दिनांक **17/06/2022** को प्राप्त की है जिसका अनुबंध क्र.**TRUP26EXLO000005098263** है । अनुबंध के नियमो और शर्तो के अनुसार आपने ऋण का पुनर्भुगतान तयकी गई किस्तों के रुप मे करने के सहमती व्यक्त की थी। सहमत नियमो और शर्तो के अनुसार, आपने टैक्टर **MM_275_XP_01_UP** जिसका पंजीकरण क्र. **UP26AN6773** है पर प्रथम एवम विशेष अधिकार (हाइपोथीकेशन) किसान फाइनेंसके पक्ष मेअंकित करवाया था ।

यह की उक्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बाद आप ऋण सुविधा को नियंत्रित करने वाली शर्तो के तहत भुगतान करने में विफल रहे हैं / बच रहे हैं और इस प्रकार आपने अनुबंध के तहत किश्तों की तिथि के अनुसार किस्तों की भुगतान करने में चूक और उपेक्षा की है । बार-बार अनुरोध करने एवम नोटिस जारी के बादजूद, आपने जानबू झकर बकाया किस्तों का भुगतान करने का कोई प्रयाश नही किया है।

यह की आप (उपरोक्त पताकर्ता) ने , ऋण समझौते के नियमो और शर्तो को भंग किया है / डिफॉलट किया है , इसके परिणाम स्वरुप, अनुबंध शर्तानुसार हम आपको दिये गये पूरे ऋण रादि को वापस बुलाते हैं , और इसलिए आप रु **8427.44**/- जो की आज दिनांक **03/06/2024** तक आपके खाते मे कुल बकाया है ,जिसमे मूल बकाया और अन्य शुल्क शामिल हैं ,ऊपर दिए गए पते के नाम पर भुगतान करने के दिए आप उत्तरियी हैं । आप इस नोदिस की प्राप्ति की तारीख से 07 दिनों की अवधि के भीतर सम्पूर्णदेय राशि का भुगतान करने के दिये अनुबंध में सहमत नियमो और शर्तो के अनुसार बाध्य है । ऐसा न करने पर हम आपके खिलाफ आपराधिक और दीवानी या दोनों तरह की उचित कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए

दववि होगे ,दजसमें भारतीय दंड सहिता की धाराओां के तहत आपके खिलाफ अपराधिक शिकायत /ACH बाउंस होने पर धारा **25 PASSA 2007** के तहत मुकदमा और मध्यस्थता सहित अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू करना शामिल है ,इससे उत्पन्न होने वाली सभी लागत और परिणाम के लिए आप उत्तरियी होांगे। इसके अलावा आपने हमारे साथ सविधा ऋण संधि पर हस्ताक्षर किये थे। और उक्त समझौते के अनुसार आपने उक्त वाहन पर प्रभार (हाइपोथेटिकल) हमारे पक्ष में करवाया है और इस बात की भी सहमति प्रदान है की चूक या किसी भी दायित्व को निभाने में विफल होने पर किशान फाइनेंस किसी भी अदालत के आदेश या बिना आदेश के उक्त वाहन को अपने कब्जे में लेकर लोन की बकाया रादि वसूलने के उद्देश्य से उक्त वाहन को बेचने / हस्तातंत्रित करने के दिये अधिकृत हैं ।

कृपया ध्यान दें यदि इस नोदिस की प्राप्ति से 7 दिनों के भीतर आप उक्त कुल देय राशि जमा नही कर पाते हैं तो हम आपको इस नोदिस के अनुसार उक्त वाहन को कम्पनी के अधिकार मे सौांपने के दिए सूचित करते हैं , इस के लिए आपको नीचे दिए गए संपर्क पर सामान्य कार्य दिवसों में10 बजे से शाम 5 बजे के बीच संपर्क करना है और किसान फाइनेंस के अदधकृत प्रतिनिधि को अच्छी कामकाजी स्तिथि में वाहन का अधिकार सौांपना है । ऐसा न करने पर हमारे पास अनुबंध के नियमो के तहत अधिकार होगा की उक्त वाहन को अपने अधिकार मे लेलें, जिसके लिए आप पहले से ही सहमत हैं । इसके आलावा कृपया ध्यान दे की किसान फाइनेंसको उक्त वाहन (हाइपोथेटिकल) को बेचने / हस्तांतरित करने और आपसे ऋण बकाया (यदि कोई हो) की वसूली करने के दिए विधिवत अधिकार प्राप्त है ।

अनुबंध के तहत सभी किश्तों का समय पर भुगतान प्राप्त करने के और वसूली करने के अदधकार के अंतर्गत आपके खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही शुरू करने के दिए हमारी कांपनी के निहित अधिकारों के साथ बिना पक्षपात के वर्तमान नोटिस जारी किया गया है । यदि आप वर्तमान नोटिस के में भुगतान करना चाहते हैं , तो हम आपसे अनुरोध करते हैं दक कृपया इस नोदिस की एक प्रति कैश/ डीडी के साथ मेरे मुवक्किल किसान फाईनेंस प्रतिनिधि के पास जाए और इस मुद्दे को बंद करें या किसी भी प्रश्न /स्पष्टीकरण के लिए आप हमारे टोल-फ्री नंबर 1800 203 5972 पर किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच संपर्क करें । इस नोदिस की प्रति हमारे कार्यालय में आगे की कार्यवाही के लिए रखी गई है ।

आज्ञा से : - **इफको किसान फाइनेंस लिमिटेड**

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

{{api}}